रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223048
CG-DL-E-12112020-223048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3564] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 3564] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4047(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1917 (अ), तारीख 3 जून, 2019, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 जून, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य गुजरात की सीमा के निकट राजस्थान के सिरोही जिला, अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में 24° 33' से 24° 43' उ और 72° 38' से 72°53' पू के बीच स्थित है। अभयारण्य 326.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और सिरोही जिले के पिंडवारा और रेवदर तहसील, आबू सड़क के पार तक फैला है;

और, मॉउंट आबू अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है, अपनी ऊंची विविध पर्वत, श्रेणियों के कारण समुद्र तल से 300 से 1722 मीटर ऊपर तक और इसमें वनस्पति और जीवजंतुओं की दुर्लभ, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों की विविधता है। यह 1960 में

वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जिसमें वर्ष 2008 में अंतिम रूप से परिवर्तन करके अधिसूचित किया गया। राजस्थान और गुजरात राज्यों के बीच, एकमात्र पहाड़ी स्थान होने और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण यहां, हर साल इस स्थान पर 15 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। अभयारण्य में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अर्थात् राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली है। पहाड़ियों का निर्लिप्त समूह एक चट्टानी द्वीप की तरह समतल मैदान से अचानक ऊपर उठता है;

और, मॉउंट आबू में बहुत समृद्ध वनस्पति जैव विविधता है जो पादगिरि में जेरोमोर्फिक उपोष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से आरंभ होकर जो जल मार्ग और घाटियों के साथ उच्च ऊंचाई पर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों तक इन वनों में 449 जेनेरा और 820 प्रजातियों के साथ 112 पादप वर्ग है;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य वनस्पति मांगिफेरा *इंडिका* (मैंगो), *मोरिंडा टेंक्रोरिया* (भारतीय शहतूत), बुचानानिया लांजान (चिरौंजी), *कैसिया फिस्टुला,* (गोल्डन रेन ट्री), *इम्बिलिका ओफिसिनैलिस* (अमला), *सपिंदुस इमारगिनाटस* (नोटचड लेफ सोअप्नुट), *अकैशिया निलोटिका* (बबूल), *फिकस बेंघालेंसिस* (बंयान), *टर्मिनलिया बेल्लेरिका, एंगल मारमेंलोस, डायोस्पायरोस कॉर्डिफोलिया, जिजिफुस मौरिटिआना, सिजेगियम कुमिनि, होलोप्टेया इंटेगरिफोलिया, बुटेया मोनोस्पर्मा, अनोगेइस्सूस लटिफोलिया, अनोगेइस्सूस पेंडुला, फिकस रेलिगिओसा, अकैशिया लेयूकोफलोया, मल्लोटा स्फिलिप्पिनेंसिस, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, टेक्टोना ग्रांडिस* (सागौन), *टर्मिनलिया अर्जुन* (अर्जुन), *व्रिघटिया टोमेंटोसा, अल्बिजिया लेब्बेक, अल्बिजिया प्ररोकेरा* (टैल अल्बिजिया), *सोलानम विरगिनिअनम* (थोर्नी निघटशादे), *कैरिस्सा चरनदास*, आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जीवजंतु अभिलिखित किए गए हैं जिसमें हनुमान लंगूर *(सेम्नोपिथेकस कइंटेल्लुस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रज्यूस),* बनबिलार *(फेलिस चाउस),* ग्रे नेवला *(हर्पस्टेस एड्वर्डसी),* सियार *(कैनिस ऑरियस),* भारतीय लोमड़ी *(वुल्प्स बेंगालेंसिस),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),* सामान्य पाम सिवेट *(पराडोक्सरूस हेरमाफरोडिटस),* हनी बेजर *(मेल्लिवोरा कैपेंसिस),* भारतीय हेडगेहोग *(हेमिचिनुस मिकरोपुस),* ब्लू बुल *(बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस),* सांभर हिरण *(करवुस यूनिकोलर),* भारतीय बनैला सूअर*(सस स्क्रोफा),* पांच धारीदार पाम गिलहरी *(फनाम्बुलुस पेन्नांटि),* हाउस शेरव *(सुनकस मुरीनस),* भारतीय साही *(हिस्ट्रीक्स इंडिका),* भारतीय खरगोश *(लेपस निगरीकोल्लिस),* भारतीय लोमड़ी *(कैनिस लेपुस),* रीछ *(मेलर्सस अरसिनस),* ग्रीन अवादात *(अमांदावा फोरमोसा),* एशियन पैराडिस फ्लाईकैचर *(टेरप्सिपोन पराडिस),* भारतीय स्किमिटर बाब्बलेर *(पोमेटोरहोनस हॉरसफिइल्डी),* रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल *(पायनोनोटस जकोसस),* भारतीय मोर *(पवो क्रिस्टस),* व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटर मुर्गी *(अमाउरोर्निस फोईनिकुरुस),* ओरिंटल हनी बुज्जार्ड *(पेरनि पटिलोरहयंचस),* आदि शामिल हैं। जबकि, क्षेत्र में मुख्य सरीसृप मगरमच्छ *(क्रोकोडायल पलुस्टरीस),* भारतीय मड कछुआ *(लिस्सेमयस पुंकटाटा),* स्टेरेंड कछुआ (*गेओचेलोन इलेगंस*), बरौक्स गेको *(हेमिदाकटायलुस ब्रुकी),* रॉक गेको *(हेमिदाकटयलुस मकुलाटस),* फोरस्टेन कैट स्नैक *(बोइगा फोरस्टेनि),* चैकरेड कैल्बैक (*क्सेनोक्रोफिस पीसकटोर*), सामान्य गार्डन लिर्जाड *(कलोटेस वेरस्किलोर),* भारतीय चामेलेओन *(चामेलेओन केल्कराटोस),* सेव स्कैलेड सांप *(इचीस करिनाटस),* सामान्य स्किंक*(यूटोपिस करिनाटा),* मॉनिटर छिपकली *(वरानुस बेंगालेंसिस),* भारतीय पायथन *(पायथन मोलुरूस),* सामान्य चूहा सांप*(पटयास मुकोसुस),* ग्रीन कीलबैक *(मकरोपिस्थोदोन पलुम्बिकोलोर),* सामान्य भारतीय करैत *(बुंगारूस काइरूलेउस),* भारतीय कोबरा *(नाजा नाजा),* रूस्सेल नाग *(डाबोइया रूस्सेल्ली),* आदि पाए जाते हैं और क्षेत्र में पक्षियों में जैसे ग्रीन मुनिया, जंगली बब्लेर, मवेशी इग्रेट, पर्पल सनबर्ड, भारतीय तालाब बगुला, असहय परिनिया, क्रेस्टेड सर्प-ईगल, ओरिएंटल हनी बज़र्ड, भारतीय ब्लैकबर्ड, व्हाइट-स्पोट्टेड फनताइल-फ्लाईकैचर, रॉक कबूतर, पेरेग्रीन फॉल्कन, ओरिंटल व्हाइट-आई, क्रेस्टेड बंटिग, कोप्पेरस्मिथ बारबेट, भारतीय ग्रे हॉनबिल, रोस्य स्टेरलिंग, ब्लैक रेडस्टार्ट, ब्लैक ड्रोगों, आदि पाए जाते है;

और, अभयारण्य से लुप्तप्राय प्रजातियों में *अनोगेइस्सूस सेरिकेया, बेगोनिया ट्राईचोकारपा* (हेयरी-फ्रुट बेगोनिया), *क्रोटालारिया फिलिपस* (क्रैरेपिंग हेम्प), *इंडिगोफेरा कोंस्टरिकटा, पेन्थेरार प्रज्यूस* (तेंदुआ), *मेलर्सस अरसिनस* (रीछ), आदि अभिलिखित की गई हैं। जबकि अभयारण्य से मुख्य स्थानिक प्रजातियों में *डिकलिपटेरा अबुइंसिस, स्टोबिलांथेस कल्लोसुस* और *रोसा* आदि की उप-प्रजातियां अभिलिखित की गई है;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के सिरोही जिला के मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 6.08 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 6.08 किलोमीटर है। क्षेत्र के आसपास अधिक मानव उपस्थिति और विकास के कारण न्यूनतम विस्तार 0.1 किलोमीटर है। अधिकतम विस्तार 6.08 किलोमीटर है जिसमें मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के जेसोर स्लॉथ बीयर अभयारण्य के बीच महत्त्वपूर्ण गलियारा जुड़ाव शामिल है जो रीछ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, आदि जैसे पशुओं के लिए स्वस्थ जीन पूल लंबे समय तक सुरक्षित रखता और बनाए रखना है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 125.15 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में नीचे दिया गया है:-

दिशाएं	**क्षेत्र (किलोमीटर)**
उत्तर	*1.0*
उत्तर-पूर्व	*1.0*
पूर्व	*1.0*
दक्षिण-पूर्व	*0.1*
दक्षिण	*1.1*
दक्षिण-पश्चिम	*6.08*
पश्चिम	*1.0*
उत्तर-पश्चिम	*1.0*

(2) मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) ग्रामीण विकास;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्नों प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) वर्षा जल संचयन; और

(vi) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण

		इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
10.	मछली पकड़ना।	प्रतिषिद्ध।
11.	उच्च मात्रा और नगर-जीवन का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।

		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे यह आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
17.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिस्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
30.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

32.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। कंटीली तार बाड़ और विद्दुत की अनुमति नहीं दी जायेगी।
33.	पेट्रोल पंप।	निगरानी समिति द्वारा लागू विधियों के अधीन अनुमति दी जायेगी।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	अवक्रमित भूमि वन पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदाभिधान
(i)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), माउंट आबू	सदस्य;
(iii)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), सिरोही	सदस्य;
(iv)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), रेवदर	सदस्य;
(v)	माननीय वन्यजीव वार्डन, माउंट आबू, सिरोही	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	अध्यक्ष नगरपालिका, आबू रोड	सदस्य;
(x)	प्रधान, पीएस, माउंट आबू	सदस्य;
(xi)	प्रधान, पीएस, रेवदर	सदस्य;
(xii)	प्रधान, पीएस, पिंडवाड़ा	सदस्य;
(xiii)	उप-वन संरक्षक, माउंट आबू	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी sजोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची सम्मिलित है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/55/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	निथोड़ा/ नानरवाडा से थेलफीखेड़ा तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
उत्तर-पूर्व	फूलाभाईकाखेड़ा ग्रामों, कचोली से निथोड़ा/ नानरवाडा तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
पूर्व	क्यारा से पंचदेवल तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
दक्षिण-पूर्व	धनभव ग्राम में मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा 100 मीटर है।
दक्षिण	गिरवर, चंदेला, अम्बाबेरी, मौंगथाला और धमसारा से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर से 1.1 किलोमीटर है।
दक्षिण-पश्चिम	धावली से थोड़ापलदी तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है और फतेहपुर, सकोदा, बहादेपुरा ग्रामों से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा 6.08 किलोमीटर है, जिसमें चौतीला, वन चौतीला, मूलियामहादेव ग्राम भी है जो या तो वन भूमि या कृषि भूमि है।
पश्चिम	सरलिया से अनाद्रा ग्रामों तक, डक तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
उत्तर-पश्चिम	थेलीखेड़ा से टोकरा ग्रामों तक, हदमतिया और सरालिया, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।

उपाबंध- IIक

राजस्थान के सिरोही जिला में मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र

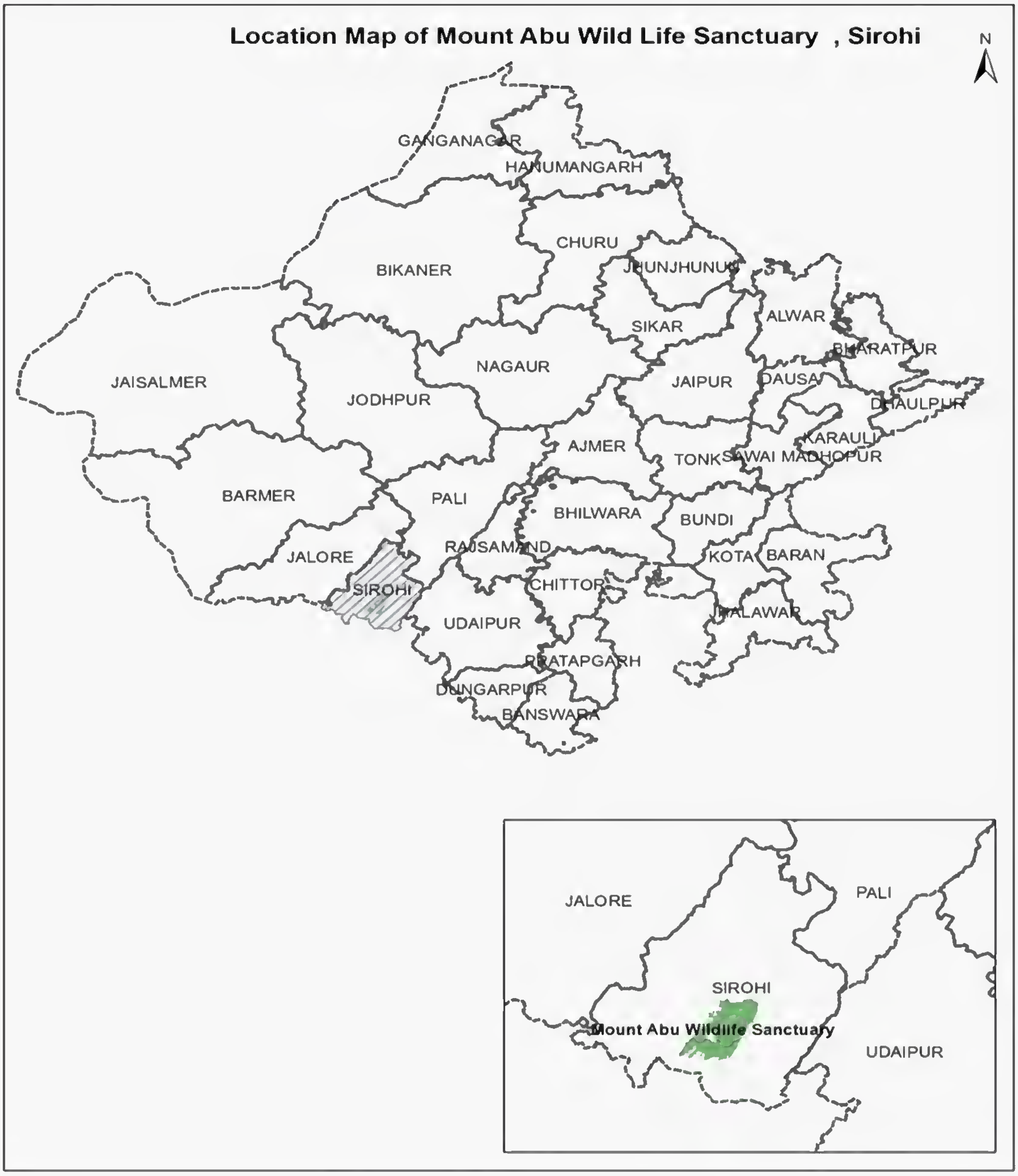

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

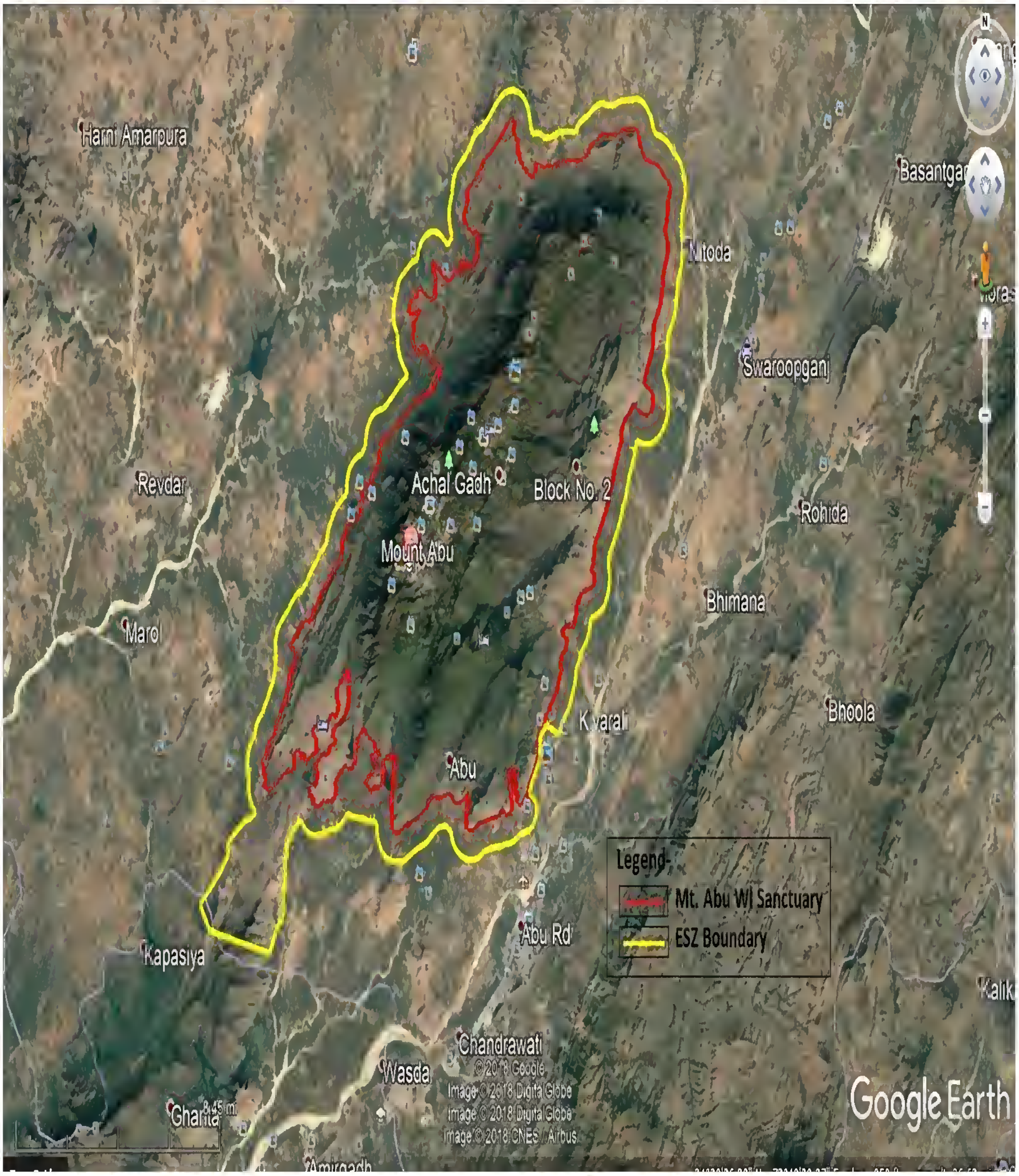

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

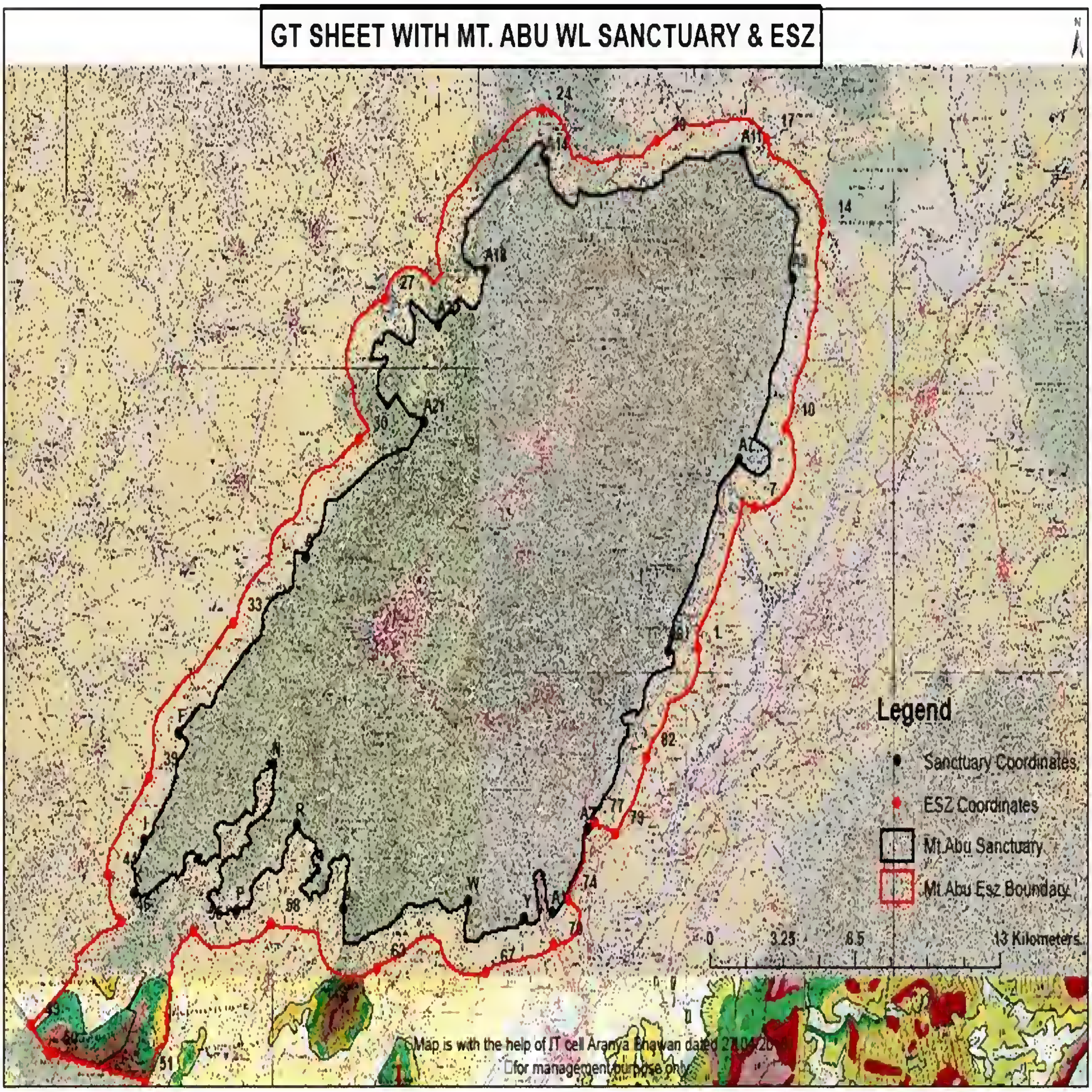

उपाबंध- IIघ

राजस्थान राज्य में मौंउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

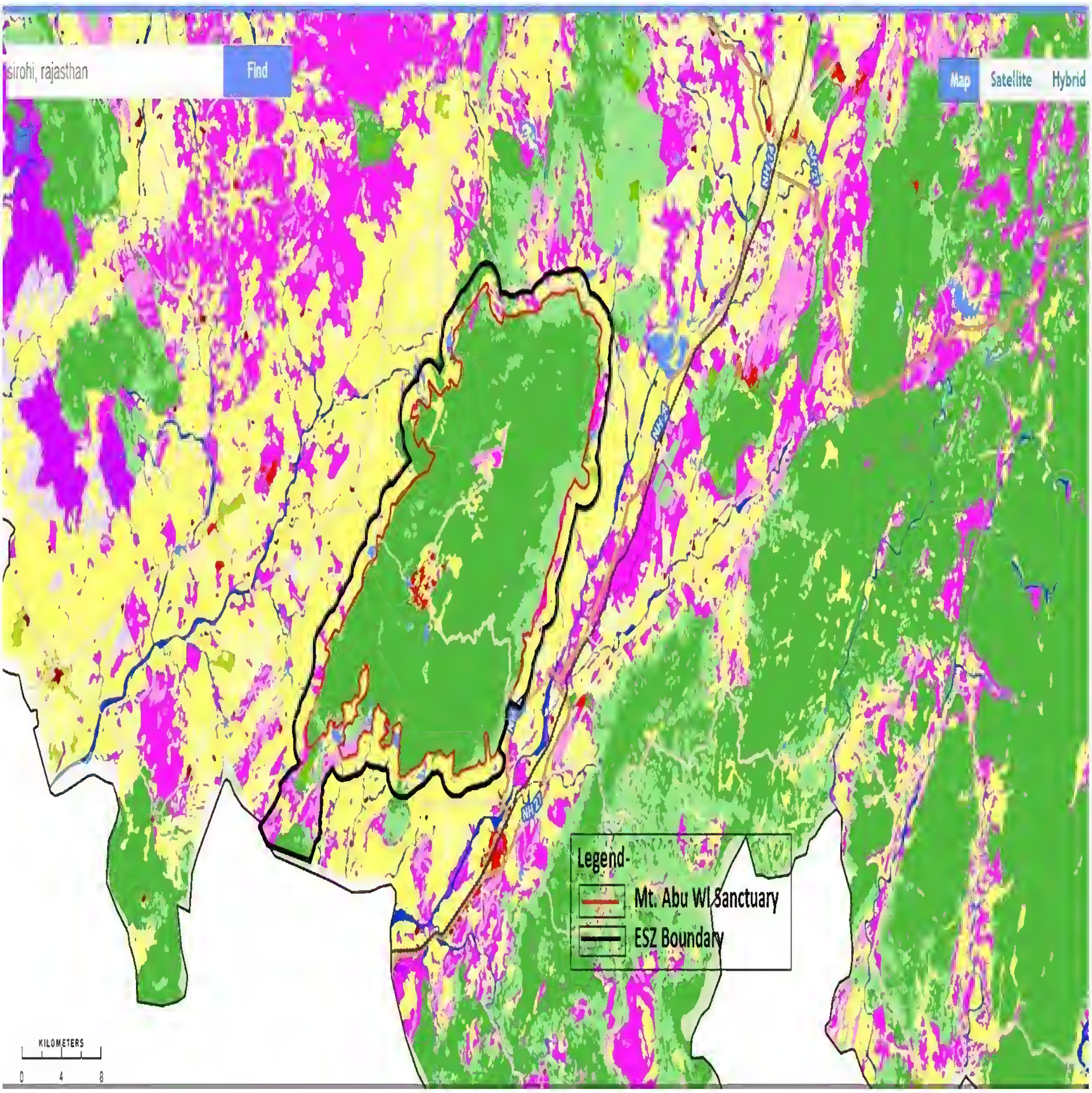

उपाबंध-III

सारणी क: मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1	ए	उ24° 36' 54.8"	पू72° 40' 48.7"	26	जेड	उ24° 31' 44.2"	पू72° 46' 25.6"
2	बी	उ24° 36' 59.7"	पू72° 40' 35.9"	27	ए1	उ24° 31' 03.0"	पू72° 46' 45.3"
3	सी	उ24° 36' 25.1"	पू72° 40' 30.1"	28	ए2	उ24° 32' 26.1"	पू72° 47' 36.4"
4	डी	उ24° 35' 44.0"	पू72° 39' 45.2"	29	ए3	उ24° 33' 30.6"	पू72° 48' 23.0"
5	इ	उ24° 34' 25.1"	पू72° 38' 30.8"	30	ए4	उ24° 34' 08.6"	पू72° 48' 30.1"
6	एफ	उ24° 34' 01.5"	पू72° 37' 44.0"	31	ए5	उ24° 34' 42.2"	पू72° 48' 58.7"
7	जी	उ24° 33' 51.6"	पू72° 37' 57.2"	32	ए6	उ24° 35' 22.3"	पू72° 49' 33.5"
8	एच	उ24° 32' 33.3"	पू72° 37' 10.8"	33	ए7	उ24° 38' 29.9"	पू72° 51' 16.4"
9	आई	उ24° 32' 15.6"	पू72° 36' 54.1"	34	ए8	उ24° 38' 50.5"	पू72° 51' 38.4"
10	जे	उ24° 31' 48.4"	पू72° 36' 36.6"	35	ए9	उ24° 41' 30.8"	पू72° 52' 34.1"
11	के	उ24° 31' 23.4"	पू72° 36' 39.6"	36	ए10	उ24° 42' 54.5"	पू72° 52' 07.7"
12	एल	उ24° 31' 33.5"	पू72° 37' 21.4"	37	ए11	उ24° 43' 34.3"	पू72° 51' 20.4"
13	एम	उ24° 33' 31.6"	पू72° 39' 53.8"	38	ए12	उ24° 43' 27.2"	पू72° 50' 07.3"
14	एन	उ24° 33' 29.2"	पू72° 40' 00.9"	39	ए13	उ24° 42' 54.2"	पू72° 48' 14.6"
15	ओ	उ24° 31' 52.2"	पू72° 38' 49.0"	40	ए14	उ24° 43' 25.9"	पू72° 46' 37.2"
16	पी	उ24° 31' 06.2"	पू72° 39' 08.0"	41	ए15	उ24° 43' 05.6"	पू72° 45' 34.2"
17	क्यू	उ24° 31' 42.7"	पू72° 39' 45.7"	42	ए16	उ24° 42' 32.5"	पू72° 44' 50.9"
18	आर	उ24° 32' 29.5"	पू72° 40' 35.0"	43	ए17	उ24° 42' 13.3"	पू72° 44' 42.8"
19	एस	उ24° 31' 58.0"	पू72° 41' 06.7"	44	ए18	उ24° 41' 37.1"	पू72° 45' 08.8"
20	टी	उ24° 31' 40.2"	पू72° 41' 24.7"	45	ए19	उ24° 40' 59.5"	पू72° 44' 53.5"

21	यू	उ24° 31' 07.4"	पू72° 41' 42.5"	46	ए20	उ24° 40' 44.0"	पू72° 43' 59.9"
22	वी	उ24° 31' 13.3"	पू72° 43' 47.7"	47	ए21	उ24° 39' 08.0"	पू72° 43' 39.8"
23	डब्ल्यू	उ24° 31' 16.0"	पू72° 44' 43.6"	48	ए22	उ24° 38' 41.0"	पू72° 43' 16.7"
24	एक्स	उ24° 30' 34.0"	पू72° 44' 53.9"	49	ए23	उ24° 37' 46.6"	पू72° 41' 17.0"
25	वाई	उ24° 30' 58.6"	पू72° 46' 04.7"	50	ए24	उ24° 37' 16.8"	पू72° 41' 07.9"

सारणी ख: मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1	उ24° 35' 23.9"	पू72° 50' 17.2"	44	उ24° 31' 40.2"	पू72° 36' 02.3"
2	उ24° 35' 47.0"	पू72° 50' 21.8"	45	उ24° 31' 07.8"	पू72° 36' 08.1"
3	उ24° 36' 11.3"	पू72° 50' 39.1"	46	उ24° 30' 54.9"	पू72° 36' 21.2"
4	उ24° 36' 42.1"	पू72° 50' 54.8"	47	उ24° 30' 43.6"	पू72° 35' 53.2"
5	उ24° 37' 02.8"	पू72° 51' 02.8"	48	उ24° 30' 20.1"	पू72° 35' 15.7"
6	उ24° 37' 29.1"	पू72° 51' 16.0"	49	उ24° 29' 11.8"	पू72° 34' 10.0"
7	उ24° 37' 43.7"	पू72° 51' 39.1"	50	उ24° 28' 43.2"	पू72° 34' 35.9"
8	उ24° 38' 14.2"	पू72° 52' 34.3"	51	उ24° 28' 17.1"	पू72° 36' 54.9"
9	उ24° 38' 49.0"	पू72° 52' 33.8"	52	उ24° 29' 06.7"	पू72° 37' 26.5"
10	उ24° 39' 02.9"	पू72° 52' 24.5"	53	उ24° 29' 48.6"	पू72° 37' 32.4"
11	उ24° 40' 23.2"	पू72° 52' 55.7"	54	उ24° 30' 26.3"	पू72° 37' 44.6"
12	उ24° 41' 37.8"	पू72° 53' 08.9"	55	उ24° 30' 45.6"	पू72° 38' 05.7"
13	उ24° 41' 58.0"	पू72° 53' 10.4"	56	उ24° 30' 29.3"	पू72° 38' 51.8"
14	उ24° 42' 23.9"	पू72° 53' 17.4"	57	उ24° 30' 33.0"	पू72° 39' 09.6"
15	उ24° 42' 51.8"	पू72° 53' 08.6"	58	उ24° 30' 52.9"	पू72° 39' 57.5"

16	उ24° 43' 21.2"	पू72° 52' 30.2"	59	उ24° 30' 47.2"	पू72° 40' 37.8"
17	उ24° 43' 47.5"	पू72° 51' 55.4"	60	उ24° 30' 41.6"	पू72° 41' 07.1"
18	उ24° 44' 06.6"	पू72° 51' 24.8"	61	उ24° 30' 08.4"	पू72° 41' 22.3"
19	उ24° 43' 59.8"	पू72° 50' 19.5"	62	उ24° 30' 02.1"	पू72° 42' 15.7"
20	उ24° 43' 44.8"	पू72° 49' 17.6"	63	उ24° 30' 08.8"	पू72° 42' 31.3"
21	उ24° 43' 32.1"	पू72° 48' 58.0"	64	उ24° 30' 39.8"	पू72° 43' 50.7"
22	उ24° 43' 30.2"	पू72° 48' 22.0"	65	उ24° 30' 21.1"	पू72° 44' 07.7"
23	उ24° 43' 32.6"	पू72° 47' 13.3"	66	उ24° 30' 05.8"	पू72° 44' 27.4"
24	उ24° 44' 16.1"	पू72° 46' 31.0"	67	उ24° 30' 04.3"	पू72° 45' 09.0"
25	उ24° 43' 14.6"	पू72° 44' 48.9"	68	उ24° 30' 14.2"	पू72° 45' 37.8"
26	उ24° 42' 46.6"	पू72° 44' 14.5"	69	उ24° 30' 19.2"	पू72° 46' 17.9"
27	उ24° 41' 08.9"	पू72° 42' 43.6"	70	उ24° 30' 30.6"	पू72° 46' 48.1"
28	उ24° 40' 45.4"	पू72° 42' 00.5"	71	उ24° 30' 34.0"	पू72° 47' 05.7"
29	उ24° 40' 19.7"	पू72° 41' 48.6"	72	उ24° 30' 47.0"	पू72° 47' 24.0"
30	उ24° 38' 50.6"	पू72° 42' 04.8"	73	उ24° 31' 04.9"	पू72° 47' 25.6"
31	उ24° 38' 27.1"	पू72° 41' 30.1"	74	उ24° 31' 15.8"	पू72° 47' 08.2"
32	उ24° 36' 44.0"	पू72° 39' 47.5"	75	उ24° 31' 55.6"	पू72° 47' 32.4"
33	उ24° 35' 49.7"	पू72° 39' 03.2"	76	उ24° 32' 22.2"	पू72° 47' 36.8"
34	उ24° 35' 03.5"	पू72° 38' 13.6"	77	उ24° 32' 32.7"	पू72° 47' 47.7"
35	उ24° 34' 58.5"	पू72° 38' 02.4"	78	उ24° 32' 27.8"	पू72° 47' 55.8"
36	उ24° 34' 43.9"	पू72° 37' 42.0"	79	उ24° 32' 21.1"	पू72° 48' 16.8"
37	उ24° 34' 35.8"	पू72° 37' 33.1"	80	उ24° 32' 52.3"	पू72° 48' 43.2"

38	उ24° 34' 03.2"	पू72° 37' 07.6"	81	उ24° 33' 07.6"	पू72° 48' 50.7"
39	उ24° 33' 17.7"	पू72° 37' 01.2"	82	उ24° 33' 36.6"	पू72° 49' 02.0"
40	उ24° 32' 53.7"	पू72° 36' 42.9"	83	उ24° 33' 47.5"	पू72° 49' 08.5"
41	उ24° 32' 37.6"	पू72° 36' 27.9"	84	उ24° 34' 15.9"	पू72° 49' 30.1"
42	उ24° 32' 21.7"	पू72° 36' 19.2"	85	उ24° 34' 34.0"	पू72° 49' 46.9"
43	उ24° 31' 52.9"	पू72° 36' 01.5"			

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	ननारवारा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
2	निटोडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°19'52.00"	पू72°53'37.46"
3	उबेरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43'10.89"	पू72°49'35.57"
4	नागपुर	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°35'02.33"	पू72°50'01.43"
5	पंचदेवल	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37'04.45"	पू72°05'16.18"
6	मंडवारा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43'45.73"	पू72°53'33.46"
7	खोखरी खेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43'23.67"	पू72°50'43.46"
8	कचोलइ	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°38'26.46"	पू72°53'16.20"
9	फुलाबाई का खेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37'29.50"	पू72°51'59.68"
10	उदवारीया	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°36'49.62"	पू72°53'33.58"
11	दनता	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43'36.84"	पू72°51'19.86"
12	पिपेला	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°38'22.32"	पू72°56'51.60"
13	कोटरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°36'18.46"	पू72°50'33.27"
14	माहीखेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°30'31.44"	पू72°38'52.08"
15	इसरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43'48.63"	पू72°48'36.41"
16	खंड सं.2	राजस्व एवं वन	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37'18.91"	पू72°48'56.32"
17	तेलपीखेडा	राजस्व एवं वन	सिरोही	सिरोही	उ24°43'32.66"	पू72°46'28.92"
18	हदमतिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°38'34.58"	पू72°41'07.52"

19	अनादरा	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°38'19.23"	पू72°39'18.46"
20	डाक	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°35'40.81"	पू72°37'57.97"
21	धनेरा	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°34'34.64"	पू72°37'56.65"
22	पलरिखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°31'41.40"	पू72°35'57.90"
23	मुलिया खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°29'48.96"	पू72°35'41.05"
24	धावली	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°33'49.23"	पू72°35'41.93"
25	सिंगराली खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°38'58.28"	पू72°41'06.48"
26	बुरारीखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°41'14.27"	पू72°44'28.35"
27	बारी खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
28	पडरूखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°42'32.83"	पू72°44'22.71"
29	टोकरा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°40'11.30"	पू72°42'27.32"
30	क्यारिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°33'01.05"	पू72°36'14.85"
31	सरलिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
32	क्यारा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°34'14.31"	पू72°48'44.22"
33	झामर	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'22.56"	पू72°43'38.70"
34	भाकयोरजी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'38.28"	पू72°42'43.26"
35	बगेरी	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'23.94"	पू72°41'20.30"
36	अमबाबेरी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'46.17"	पू72°41'20.03"
37	चंदेला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'12.85"	पू72°39'33.48"
38	फतेहपुरा	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'51.43"	पू72°39'12.11"
39	सकोडा	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°32'31.99"	पू72°39'39.06"
40	बहादुरपुरा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'29.50"	पू72°37'48.20"
41	छोटिला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°28'48.27"	पू72°37'11.47"
42	वन छोटिला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°29'21.98"	पू72°36'27.13"
43	मुलियामहादेव	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'26.44"	पू72°36'48.91"
44	गिरवार	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'20.06"	पू72°39'23.60"
45	मुंगथाला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°29'11.80"	पू72°41'31.57"
46	धामसरा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
47	वजना	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'17.64"	पू72°37'31.26"
48	स्मारवा का गोलिया	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33'32.00"	पू72°39'23.10"
49	तलवारका नाका	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'21.3"	पू72°44'10.0"

50	गंका	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'08.0"	पू72°45'14.6"
51	उमरानी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'57.2"	पू72°46'17.5"
52	देनवावे	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'35.3"	पू72°47'33.0"
53	आमथाला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33'24.43"	पू72°48'31.06"
54	मुदराला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33'58.0"	पू72°49'02.90"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4047(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1917 (E), dated the 3rd June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4th June, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Mount Abu Wildlife Sanctuary is situated in Sirohi district of Rajasthan close to the borders of Gujarat, between 24° 33' to 24° 43' N and 72° 38' to 72°53' E in the Southern part of the Aravali Mountain Range. The sanctuary is spread over an area of 326.09 square kilometers and extent across Abu Road, Pindwara and Revder Tehsil of Sirohi district;

AND WHEREAS, Mount Abu is a unique ecosystem due to its altitudinal variations ranges from 300 to 1722 meters above sea level and harbor variety of rare, endangered and endemic flora and fauna. It was declared as

Wildlife Sanctuary in 1960 which was further modified and finally notified in year the 2008. Being the only hill station between the states of Rajasthan and Gujarat and its rich historical and cultural diversity, more than 15 lakhs tourists visit the place every year. The sanctuary comprises the oldest mountain ranges i.e. the Aravalli in Sirohi district of Rajasthan. The detached group of hills rises suddenly from the flat plain like a rocky island;

AND WHEREAS, Mount Abu has a very rich floral biodiversity starting with xeromorphic subtropical thorn forest at the foot hills to subtropical evergreen forest along water courses and valleys at higher altitudes. These forests consist of 112 plant families with 449 genera and 820 species;

AND WHEREAS, major flora recorded from Mount Abu Wildlife Sanctuary are *Mangifera indica* (mango), *Morinda tinctoria* (Indian mulberry), *Buchanania lanzan* (chironji), *Cassia fistula* (golden rain tree), *Emblica officinalis* (amla), *Sapindus emarginatus* (notched leaf soapnut), *Acacia nilotica* (babul), *Ficus benghalensis* (banyan), *Terminalia bellerica, Aegle marmelos, Diospyros cordifolia, Ziziphus mauritiana, Syzygium cumini, Holoptelea integrifolia, Butea monosperma, Anogeissus latifolia, Anogeissus pendula, Ficus religiosa, Acacia leucophloea, Mallotus philippinensis, Terminalia tomentosa, Tectona grandis* (teak), *Terminalia arjuna* (arjuna), *Wrightia tomentosa, Albizia lebbeck, Albizia procera* (tall albizia), *Solanum virginianum* (*thorny nightshade*), *Carissa carandas,* etc.;

AND WHEREAS, the important fauna recorded from the Sanctuary includes Hanuman langur (*Semnopithecus entellus),* leopard (*Panthera pardus*), jungle cat (*Felis chaus*), Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*), Jackal (*Canis aureus),* Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), honey badger(*Mellivora capensis*), Indian hedgehog (*Hemiechinus micropus*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), sambar deer (*Cervus unicolor),* Indian wild boar (*Sus scrofa*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennantii*), house shrew (*Suncus murinus*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian wolf (*Canis lupus),* sloth bear (*Melursus ursinus*), green avadavat (*Amandava formosa*), Asian paradise flycatcher (*Terpsiphone paradisi*), Indian scimitar babbler (*Pomatorhonus horsfieldii*), red whiskered bulbul (*Pycnonotus jacosus*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), white breasted water hen (*Amaurornis phoenicurus*), Oriental honey buzzard (*Pernis ptilorhynchus*), etc. While, major reptiles found in the area are crocodiles (*Crocodylus palustris*), Indian mud turtle (*Lissemys punctata*), starred tortoise (*Geochelone elegans*), Brooks gecko (*Hemidactylus brookii*), rock gecko (*Hemidactylus maculatus*), Forsten's cat snake (*Boiga forsteni*), checkered keelback (*Xenochrophis piscator*), common garden lizard (*Calotes versicolor*), Indian chameleon (*Chameleon calcaratus*), saw scaled viper (*Echis carinatus*), common skink (*Eutropis carinata*), monitor lizard (*Varanus bengalensis*),Indian python (*Python molurus*), common rat snake (*Ptyas mucosus*), green keelback (*Macropisthodon plumbicolor*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus*), Indian cobra (*Naja naja*), Russell's viper (*Daboia russelli*), etc. and birds such as green munia, jungle babbler, cattle egret, purple sunbird, Indian pond heron, ashy prinia, crested serpent-eagle, Oriental honey buzzard, Indian blackbird, white-spotted fantail-flycatcher, rock pigeon, peregrine falcon, Oriental white-eye, crested bunting, Coppersmith barbet, Indian grey hornbill, rosy starling, black redstart, black drongo, etc. are found in the region;

AND WHEREAS, endangered species recorded from the Sanctuary are *Anogeissus sericea*, *Begonia trichocarpa* (hairy-fruit begonia), *Crotalaria filipes* (creeping hemp), *Indigofera constricta*, *Panthera pardus* (leopard), *Melursus ursinus* (sloth bear), etc. While major endemic species recorded from the Sanctuary are sub-species of *Dicliptera abuensis, Strobilanthes callosus* and *Rosa involucrate,* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mount Abu Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0.1 kilometres to 6.08 kilometres around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary, in the Sirohi district in the State of Rajasthan as Mount Abu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (here after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1)The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.1 kilometres to 6.08 kilometres around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary. The minimum extent of 0.1 kilometer is due to heavy human presence and development around the area. The maximum extent of 6.08 kilometers includes the important corridor connectivity between Mount Abu Wildlife Sanctuary and Jessore Sloth Bear Sanctuary of Gujarat that will help to preserve and maintain long time healthy gene pool exchange for the animal like sloth bear, leopard, hyena, etc. The area of the Eco-sensitive Zone is 125.15 square kilometres. The extent of Eco-sensitive Zone in different directions are given below:-

Directions	**Extent (kilometers)**
North	*1.0*
North- East	*1.0*
East	*1.0*
South-East	*0.1*
South	*1.1*
South-West	*6.08*
West	*1.0*
North-West	*1.0*

(2) The boundary description of Mount Abu Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Mount Abu Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. -(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Rajasthan State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Rural Development;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;

(v) rainwater harvesting; and

(vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	New wood based industry.	Prohibited.
10.	Fishing.	Prohibited.
11.	Use of high Intensity and bright lights.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from

		indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

30.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws. Barbed wire fencing and electrical fencing shall not be permitted.
33.	Petrol Pump.	Permission under applicable laws by Monitoring Committee.
	C. Promoted Activities	
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector	Chairman, ex officio;
(ii)	Sub Divisional Officer (SDO), Mount Abu	Member;
(iii)	Sub Divisional Officer (SDO), Sirohi	Member;
(iv)	Sub Divisional Officer (SDO), Revder	Member;
(v)	Honorary Wildlife Warden, Mount Abu, Sirohi	Member;
(vi)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(viii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(ix)	Chairperson Nagarpalika, Abu Road	Member;
(x)	Pradhan, PS, Mt Abu	Member;
(xi)	Pradhan, PS, Revder	Member;
(xii)	Pradhan, PS, Pindwara	Member;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests, Mount Abu	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/55/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

North	*From Villages Nithoda / Nanarwada to ThelphiKheda, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
North- East	*From Villages PhulabhaikaKheda, Kacholi to Nithoda/ Nanarwada, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
East	*From Village Kyara to Panchdeval, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
South-East	*In Village Dhanbhav Eco-sensitive Zone boundary of 100 meters from Boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary.*
South	*From Villages Girwar, Chandela, Ambaberi, Moongthala and Dhamsara, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer to 1.1 kilometers.*
South-West	*From Villages Dhavli to ThodaPaladi, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer and from villages Fatehpura, Sakoda, Bahadepura Eco-sensitive Zone boundary of 6.08 kilometers, which also contains Chautila, Forest Chautila, MuliyaMahadev villages which are either Forest land or Agricultural lands.*
West	*From Villages Sarliya to Anadra, till Dak, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
North-West	*From Villages ThelpiKheda to Tokra, Hadmatiya and Saraliya, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY IN SIROHI DISTRICT OF RAJASTHAN

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS

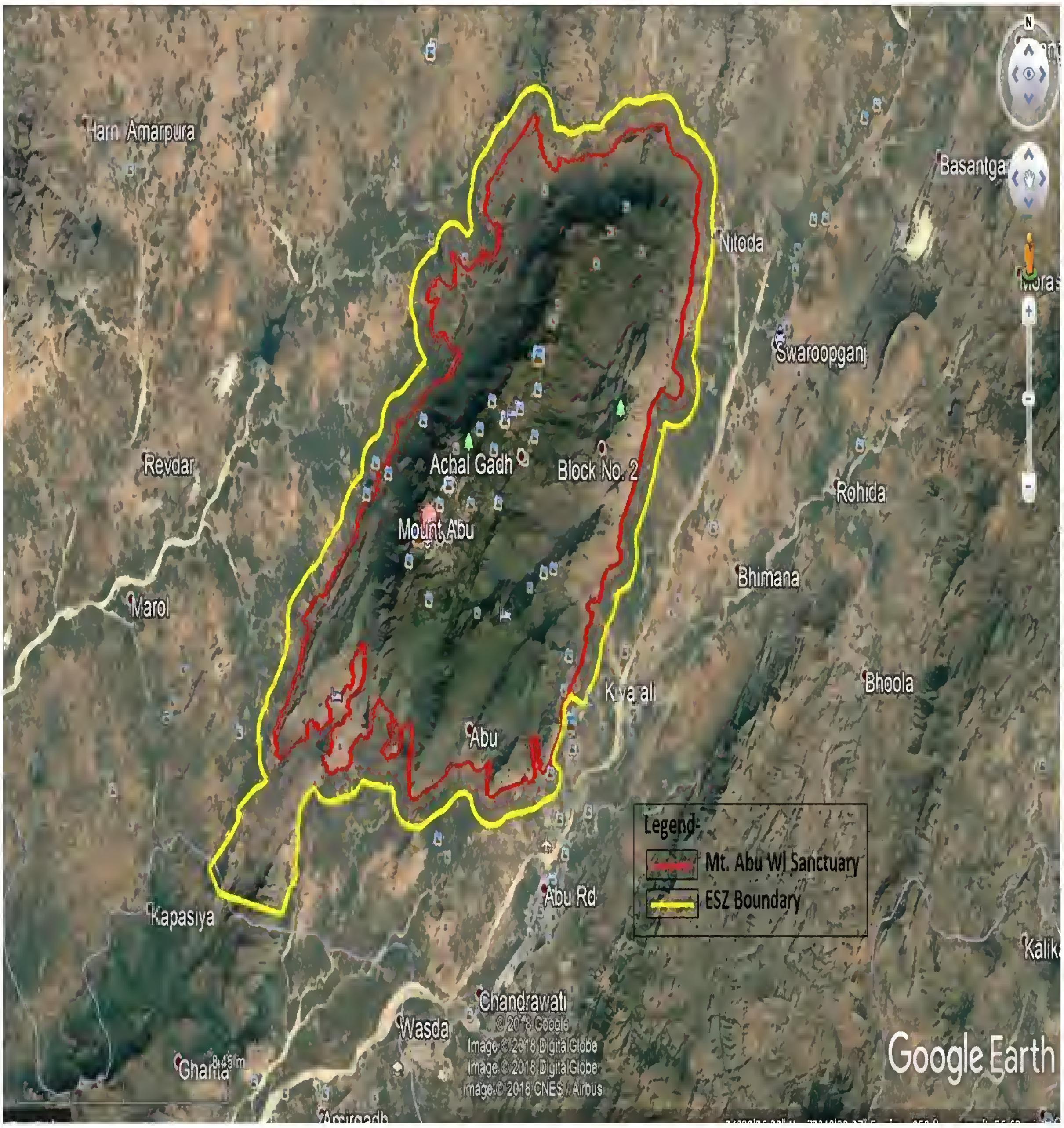

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARYALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

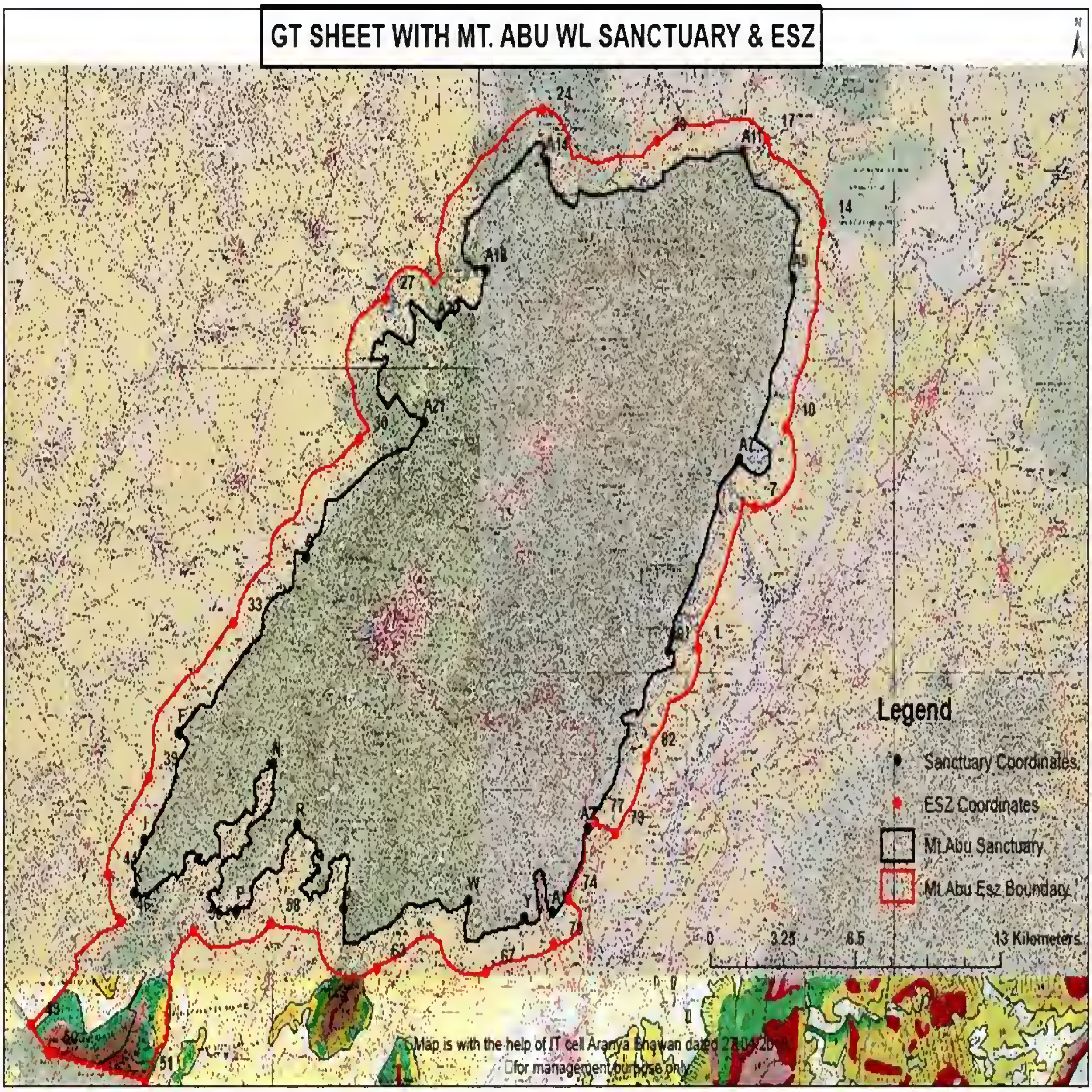

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF RAJASTHAN

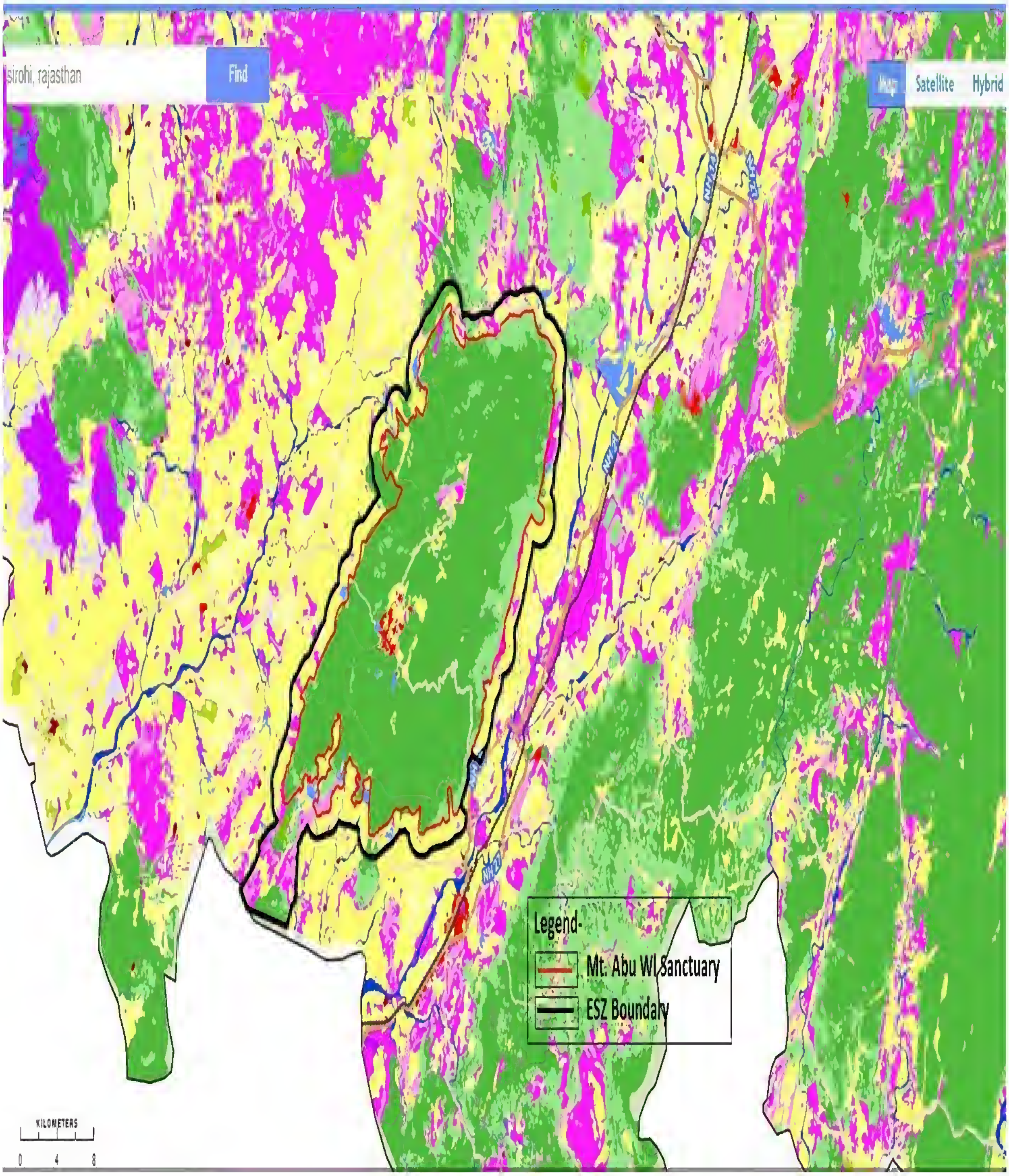

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Point Code	Latitude	Longitude	S. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1	A	N24° 36' 54.8"	E72° 40' 48.7"	26	Z	N24° 31' 44.2"	E72° 46' 25.6"
2	B	N24° 36' 59.7"	E72° 40' 35.9"	27	A1	N24° 31' 03.0"	E72° 46' 45.3"
3	C	N24° 36' 25.1"	E72° 40' 30.1"	28	A2	N24° 32' 26.1"	E72° 47' 36.4"
4	D	N24° 35' 44.0"	E72° 39' 45.2"	29	A3	N24° 33' 30.6"	E72° 48' 23.0"
5	E	N24° 34' 25.1"	E72° 38' 30.8"	30	A4	N24° 34' 08.6"	E72° 48' 30.1"
6	F	N24° 34' 01.5"	E72° 37' 44.0"	31	A5	N24° 34' 42.2"	E72° 48' 58.7"
7	G	N24° 33' 51.6"	E72° 37' 57.2"	32	A6	N24° 35' 22.3"	E72° 49' 33.5"
8	H	N24° 32' 33.3"	E72° 37' 10.8"	33	A7	N24° 38' 29.9"	E72° 51' 16.4"
9	I	N24° 32' 15.6"	E72° 36' 54.1"	34	A8	N24° 38' 50.5"	E72° 51' 38.4"
10	J	N24° 31' 48.4"	E72° 36' 36.6"	35	A9	N24° 41' 30.8"	E72° 52' 34.1"
11	K	N24° 31' 23.4"	E72° 36' 39.6"	36	A10	N24° 42' 54.5"	E72° 52' 07.7"
12	L	N24° 31' 33.5"	E72° 37' 21.4"	37	A11	N24° 43' 34.3"	E72° 51' 20.4"
13	M	N24° 33' 31.6"	E72° 39' 53.8"	38	A12	N24° 43' 27.2"	E72° 50' 07.3"
14	N	N24° 33' 29.2"	E72° 40' 00.9"	39	A13	N24° 42' 54.2"	E72° 48' 14.6"
15	O	N24° 31' 52.2"	E72° 38' 49.0"	40	A14	N24° 43' 25.9"	E72° 46' 37.2"
16	P	N24° 31' 06.2"	E72° 39' 08.0"	41	A15	N24° 43' 05.6"	E72° 45' 34.2"
17	Q	N24° 31' 42.7"	E72° 39' 45.7"	42	A16	N24° 42' 32.5"	E72° 44' 50.9"
18	R	N24° 32' 29.5"	E72° 40' 35.0"	43	A17	N24° 42' 13.3"	E72° 44' 42.8"
19	S	N24° 31' 58.0"	E72° 41' 06.7"	44	A18	N24° 41' 37.1"	E72° 45' 08.8"
20	T	N24° 31' 40.2"	E72° 41' 24.7"	45	A19	N24° 40' 59.5"	E72° 44' 53.5"
21	U	N24° 31' 07.4"	E72° 41' 42.5"	46	A20	N24° 40' 44.0"	E72° 43' 59.9"

22	V	N24° 31' 13.3"	E72° 43' 47.7"	47	A21	N24° 39' 08.0"	E72° 43' 39.8"
23	W	N24° 31' 16.0"	E72° 44' 43.6"	48	A22	N24° 38' 41.0"	E72° 43' 16.7"
24	X	N24° 30' 34.0"	E72° 44' 53.9"	49	A23	N24° 37' 46.6"	E72° 41' 17.0"
25	Y	N24° 30' 58.6"	E72° 46' 04.7"	50	A24	N24° 37' 16.8"	E72° 41' 07.9"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Latitude	Longitude	S. No.	Latitude	Longitude
1	N24° 35' 23.9"	E72° 50' 17.2"	44	N24° 31' 40.2"	E72° 36' 02.3"
2	N24° 35' 47.0"	E72° 50' 21.8"	45	N24° 31' 07.8"	E72° 36' 08.1"
3	N24° 36' 11.3"	E72° 50' 39.1"	46	N24° 30' 54.9"	E72° 36' 21.2"
4	N24° 36' 42.1"	E72° 50' 54.8"	47	N24° 30' 43.6"	E72° 35' 53.2"
5	N24° 37' 02.8"	E72° 51' 02.8"	48	N24° 30' 20.1"	E72° 35' 15.7"
6	N24° 37' 29.1"	E72° 51' 16.0"	49	N24° 29' 11.8"	E72° 34' 10.0"
7	N24° 37' 43.7"	E72° 51' 39.1"	50	N24° 28' 43.2"	E72° 34' 35.9"
8	N24° 38' 14.2"	E72° 52' 34.3"	51	N24° 28' 17.1"	E72° 36' 54.9"
9	N24° 38' 49.0"	E72° 52' 33.8"	52	N24° 29' 06.7"	E72° 37' 26.5"
10	N24° 39' 02.9"	E72° 52' 24.5"	53	N24° 29' 48.6"	E72° 37' 32.4"
11	N24° 40' 23.2"	E72° 52' 55.7"	54	N24° 30' 26.3"	E72° 37' 44.6"
12	N24° 41' 37.8"	E72° 53' 08.9"	55	N24° 30' 45.6"	E72° 38' 05.7"
13	N24° 41' 58.0"	E72° 53' 10.4"	56	N24° 30' 29.3"	E72° 38' 51.8"
14	N24° 42' 23.9"	E72° 53' 17.4"	57	N24° 30' 33.0"	E72° 39' 09.6"
15	N24° 42' 51.8"	E72° 53' 08.6"	58	N24° 30' 52.9"	E72° 39' 57.5"
16	N24° 43' 21.2"	E72° 52' 30.2"	59	N24° 30' 47.2"	E72° 40' 37.8"
17	N24° 43' 47.5"	E72° 51' 55.4"	60	N24° 30' 41.6"	E72° 41' 07.1"
18	N24° 44' 06.6"	E72° 51' 24.8"	61	N24° 30' 08.4"	E72° 41' 22.3"
19	N24° 43' 59.8"	E72° 50' 19.5"	62	N24° 30' 02.1"	E72° 42' 15.7"
20	N24° 43' 44.8"	E72° 49' 17.6"	63	N24° 30' 08.8"	E72° 42' 31.3"

21	N24° 43' 32.1"	E72° 48' 58.0"	64	N24° 30' 39.8"	E72° 43' 50.7"
22	N24° 43' 30.2"	E72° 48' 22.0"	65	N24° 30' 21.1"	E72° 44' 07.7"
23	N24° 43' 32.6"	E72° 47' 13.3"	66	N24° 30' 05.8"	E72° 44' 27.4"
24	N24° 44' 16.1"	E72° 46' 31.0"	67	N24° 30' 04.3"	E72° 45' 09.0"
25	N24° 43' 14.6"	E72° 44' 48.9"	68	N24° 30' 14.2"	E72° 45' 37.8"
26	N24° 42' 46.6"	E72° 44' 14.5"	69	N24° 30' 19.2"	E72° 46' 17.9"
27	N24° 41' 08.9"	E72° 42' 43.6"	70	N24° 30' 30.6"	E72° 46' 48.1"
28	N24° 40' 45.4"	E72° 42' 00.5"	71	N24° 30' 34.0"	E72° 47' 05.7"
29	N24° 40' 19.7"	E72° 41' 48.6"	72	N24° 30' 47.0"	E72° 47' 24.0"
30	N24° 38' 50.6"	E72° 42' 04.8"	73	N24° 31' 04.9"	E72° 47' 25.6"
31	N24° 38' 27.1"	E72° 41' 30.1"	74	N24° 31' 15.8"	E72° 47' 08.2"
32	N24° 36' 44.0"	E72° 39' 47.5"	75	N24° 31' 55.6"	E72° 47' 32.4"
33	N24° 35' 49.7"	E72° 39' 03.2"	76	N24° 32' 22.2"	E72° 47' 36.8"
34	N24° 35' 03.5"	E72° 38' 13.6"	77	N24° 32' 32.7"	E72° 47' 47.7"
35	N24° 34' 58.5"	E72° 38' 02.4"	78	N24° 32' 27.8"	E72° 47' 55.8"
36	N24° 34' 43.9"	E72° 37' 42.0"	79	N24° 32' 21.1"	E72° 48' 16.8"
37	N24° 34' 35.8"	E72° 37' 33.1"	80	N24° 32' 52.3"	E72° 48' 43.2"
38	N24° 34' 03.2"	E72° 37' 07.6"	81	N24° 33' 07.6"	E72° 48' 50.7"
39	N24° 33' 17.7"	E72° 37' 01.2"	82	N24° 33' 36.6"	E72° 49' 02.0"
40	N24° 32' 53.7"	E72° 36' 42.9"	83	N24° 33' 47.5"	E72° 49' 08.5"
41	N24° 32' 37.6"	E72° 36' 27.9"	84	N24° 34' 15.9"	E72° 49' 30.1"
42	N24° 32' 21.7"	E72° 36' 19.2"	85	N24° 34' 34.0"	E72° 49' 46.9"
43	N24° 31' 52.9"	E72° 36' 01.5"			

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Nanarwara	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°40'13.08"	E72°53'49.35"
2	Nitoda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°19'52.00"	E72°53'37.46"
3	Ubera	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43'10.89"	E72°49'35.57"
4	Nagpura	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°35'02.33"	E72°50'01.43"
5	Panchdeval	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°37'04.45"	E72°05'16.18"
6	Mandwara	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43'45.73"	E72°53'33.46"
7	KhokhariKheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43'23.67"	E72°50'43.46"
8	Kacholi	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°38'26.46"	E72°53'16.20"
9	Phulabaikakheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°37'29.50"	E72°51'59.68"
10	Udwariya	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°36'49.62"	E72°53'33.58"
11	Danta	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43'36.84"	E72°51'19.86"
12	Pipela	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°38'22.32"	E72°56'51.60"
13	Kotra	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°36'18.46"	E72°50'33.27"
14	Mahi kheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°30'31.44"	E72°38'52.08"
15	Isra	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43'48.63"	E72°48'36.41"
16	Block No.2	R & F	Pindwara	Sirohi	N24°37'18.91"	E72°48'56.32"
17	Telpikheda	R & F	Sirohi	Sirohi	N24°43'32.66"	E72°46'28.92"
18	Hadmatiya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°38'34.58"	E72°41'07.52"
19	Anadra	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°38'19.23"	E72°39'18.46"
20	Dak	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°35'40.81"	E72°37'57.97"
21	Dhanera	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°34'34.64"	E72°37'56.65"
22	Palrikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°31'41.40"	E72°35'57.90"
23	MuliyaKheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°29'48.96"	E72°35'41.05"

24	Dhawli	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°33’49.23”	E72°35’41.93”
25	Singarlikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°38’58.28”	E72°41’06.48”
26	Burarikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°41’14.27”	E72°44’28.35”
27	Bari kheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
28	Padrukheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°42’32.83”	E72°44’22.71”
29	Tokra	R & F	Reodar	Sirohi	N24°40’11.30”	E72°42’27.32”
30	Kyariya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°33’01.05”	E72°36’14.85”
31	Sarliya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
32	Kyara	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°34’14.31”	E72°48’44.22”
33	Jhamar	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’22.56”	E72°43’38.70”
34	Bhakyorji	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’38.28”	E72°42’43.26”
35	Bageri	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°30’23.94”	E72°41’20.30”
36	Ambaberi	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’46.17”	E72°41’20.03”
37	Chandela	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°31’12.85”	E72°39’33.48”
38	Fatehpura	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°31’51.43”	E72°39’12.11”
39	Sakoda	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°32’31.99”	E72°39’39.06”
40	Bahadurpura	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’29.50”	E72°37’48.20”
41	Chotila	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°28’48.27”	E72°37’11.47”
42	Forest Chotila	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°29’21.98”	E72°36’27.13”
43	Muliyamahadev	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°30’26.44”	E72°36’48.91”
44	Girwar	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’20.06”	E72°39’23.60”
45	Mungthala	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°29’11.80”	E72°41’31.57”
46	Dhamsra	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
47	Vajna	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’17.64”	E72°37’31.26”
48	Smarwakagoliya	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33’32.00”	E72°39’23.10”
49	Talwarka Naka	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’21.3”	E72°44’10.0”

50	Ganka	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’08.0”	E72°45’14.6”
51	Umrani	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’57.2”	E72°46’17.5”
52	Danvave	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’35.3”	E72°47’33.0”
53	Aamthala	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33’24.43”	E72°48’31.06”
54	Mudrala	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33’58.0”	E72°49’02.90”

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM